

सं० सं०-5 बजट (1) 24/2022/16510 (वि)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक 01/10/22

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपलब्ध बजटीय उपबंध मो० 950.00 लाख रु० मात्र के विरुद्ध राशि मो० 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र के व्यय पर योजना कियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के तहत केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, तालाबों के सैटेलाइट मैपिंग तथा मोबाईल एप के साथ वेब जी०आई०एस० एप्लीकेशन, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसानों) के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, निजी क्षेत्र में महाशीगा पालन, देशी मांगुर पालन, पर्ल कल्चर तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि से वर्तमान समय में 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, 5000 मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों का तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 6500 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 19000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन एवं विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार/स्थापनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3/10/22

3/10/22

10/2

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

भाग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख रू0 में)

क्रम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन	बजट	उपबंध	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय 53S24050010120010109	18,000		17,004
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	19 मुद्रण 53S24050010120010319	11,000		11,000
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050010120010320	22,000		22,000
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050010120010321	15,700		15,700
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010120010323	164,000		153,222
6	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050010120010335	81,000		79,6375
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
7	59 अन्य व्यय 53S24050010120010759	7,900		7,800
	उप योग :	319,600		306,3635
	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय 53S24050078920010109	1,000		0,000
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050078920010321	3,400		3,400
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078920010323	30,000		29,000
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335	43,000		28,4375
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
5	59 अन्य व्यय 53S24050078920010759	3,000		3,000
	उप योग :	80,400		63,8375
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय 53S24050079620010109	52,000		32,624
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	19 मुद्रण 53S24050079620010319	20,000		20,000
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050079620010320	33,000		33,000
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050079620010321	32,900		32,900
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079620010323	225,000		152,975
6	29 व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079620010329	20,000		20,000
7	31 परामर्शी शुल्क 53S24050079620010331	10,000		10,000
8	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050079620010335	127,000		127,000
9	80 मूल्यांकन 53S24050079620010380	10,000		10,000
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
10	59 अन्य व्यय 53S24050079620010759	10,100		7,800
11	81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ 53S24050079620010781	10,000		10,000
	उप योग :	550,000		456,299
	सकल योग :	950,000		826,500

कुल मो0 826.50 लाख (आठ करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र।

3. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है।
4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।
6. (क) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।
- (ख) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायेगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।
- (ग) विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुरूप इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।
- (घ) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन किया जायेगा।
- (ङ) जलाशय स्तरीय 150 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटीकार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, बिरसा मत्स्य किसान {कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1257 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में} अंकित होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।
- (च) प्रचार/प्रसार/पोस्टर/पम्पलेट/बुकलेट/प्रचार-सामग्री/विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई/मेला/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंट्री फिल्म/डेटा इन्ट्री/फोटोग्राफी/सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी/राज्य प्रायोजित समारोह/सेवा शुल्क/तकनीकी सेवा शुल्क/बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली अन्य सेवाएँ/विशेषज्ञों का सेवा शुल्क/परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय/डी0पी0आर0 तथा योजनाओं के मूल्यांकन पर व्यय आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इन्ट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।
- (छ) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति बिरसा मत्स्य किसान की दर से राशि व्यय की जायेगी।

3/11/22

6/11/22

(ज) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आर० एफ० एफ० समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 30,000/- रु० प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल अथवा मोपेड के साथ आईस बॉक्स/डीप फ्रिजर अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित 12 Paddle Wheel Aerator अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिन्डर (accessories सहित) के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं सचिका के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जाँच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।


8. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।


क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 225/- रु० की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय, आवासन आदि पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों के तीन दिवसीय कार्यशाला तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 1225/- रु० की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/- रु० की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं सस्थागत व्यय के रूप में 75/- रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 400/- रु० अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आर०एफ०एफ० लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों, मत्स्य विक्रेताओं आदि के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/मत्स्य विक्रेताओं आदि को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/- रु० प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/- रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/- रु० मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रौंची तक) भुगतान किया जायेगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा आदि का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते





हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉगा गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. परिशिष्ट-IV में आपूर्ति एवं सामग्री मद में कर्णाकित राशि का व्यय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में नवनिर्मित 100 शैय्या के पुरुष एवं महिला छात्रावास के साथ-साथ सेमिनार हॉल की आवश्यक सामग्रियों के कय के लिए भी किया जा सकेगा। सामग्रियों का कय (GeM) के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0 2353 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में GeM Portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता की रिक्ति में GeM के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अभिप्राप्ति की जाएगी।

ड. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

च. कोविड-19 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण: फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायेगी।

ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी।

ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं

3/11/21

11/11/21

10/11/21

निदान आदि के लिए आई0 टी0-बेस्ड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख-रखाव/मोबाईल एप/अन्य एप तथा साफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा।

11 वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापक-रा0 यो0 प्रा0-35/21 राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 40 रा0 (वि0)/मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्गत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्चर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें MMD Approved, 16.5 Kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neoprene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 1792/- रुपये है। जबकि पूर्व आकलित दर 1600/-रु0 है। अतएव लाईफ जैकेट की पूर्व आकलित दर (मो0 1600/-रु0) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1200/-रु0) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

3/11/21





18. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।
19. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
20. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
21. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। विषयगत योजनांतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में व्यय पश्चात् प्राप्त भौतिक उपलब्धि से संतुष्ट होने के उपरांत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटन निर्गत किया जाय। किसी भी स्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।
23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्धीख पी०)  
सरकार के सचिव

ज्ञापक : 16 रत० (वि०) / राँची, दिनांक 01/08/22  
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापक : 16 रत० (वि०) / राँची, दिनांक 01/08/22  
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापक : 16 रत० (वि०) / राँची, दिनांक 01/08/22  
प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आर्ष सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आर्ष सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

(ग) झारखण्ड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, धुर्वा, राँची की सहायता से राज्य के तालाबों के सैटेलाइट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन विकसित किये जाने हेतु मो0 10.62 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जाएगा।

(घ) निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मॉगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा।

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
13. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।
14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
16. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1050.00 लाख (सशोधित बजट मो0 839.44 लाख) रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 619.68 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।
17. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3/11/22

3/11/22

3/11/22



परिशिष्ट 1

फिनॉल शीम-01-संग्र एवं शीम-09-मांगव्य		फिनॉल शीम-03-प्रशासनिक व्यय-23-संग्र एवं संग्रणी													फिनॉल शीम-03-प्रशासनिक व्यय-21-संग्र		फिनॉल शीम-01-संग्र व्यय-09-संग्र व्यय		कुल वित्तीय कुल नक्सा					
क्र. सं.	विवरण / प्रमुख कार्यवाही एवं लक्ष्यकारी संस्थाएं	वित्तगत नक्सा			वित्तीय नक्सा			वित्तगत नक्सा			वित्तीय नक्सा			वित्तगत नक्सा		वित्तीय नक्सा		प्रकार / संग्रणी	कुल वित्तीय कुल नक्सा					
		वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)	वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)	वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)	वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)	वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)	वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)	वित्तगत नक्सा (₹0 ₹)	वित्तीय नक्सा (₹0 ₹)									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	एनालिसिस	2	2	2,616	2.60	1,000	403	2,108	6,000	0.120	0	0.000	0.500	260	3,000	3	3,840	1,000	2,000	760	1,520	3	0.900	18,604.0
2	प्रशासनिक	1	1	1,306	1.00	0.400	282	1,472	6,000	0.120	100	0.150	0.500	0	0.000	2	2,650	1,000	2,000	620	1,240	2	0.600	11,350.0
3	कर्मचारी	2	2	2,616	1.00	0.400	283	1,508	6,000	0.120	0	0.000	0.500	0	0.000	3	3,840	1,000	2,000	680	1,360	2	0.600	12,944.0
4	प्रशासनिक	0	0	0.000	1.00	0.400	312	1,622	4,500	0.090	0	0.000	0.500	60	0.720	2	2,650	1,000	2,000	620	1,240	2	0.600	10,732.0
5	प्रशासनिक	2	2	2,616	1.50	0.600	362	1,872	8,000	0.120	0	0.000	0.500	0	0.000	3	3,840	1,000	2,000	690	1,380	3	0.900	14,828.0
6	प्रशासनिक	1	1	1,306	1.00	0.400	262	1,322	6,000	0.120	0	0.000	0.500	0	0.000	2	2,650	1,000	2,000	680	1,360	2	0.600	11,170.0
7	प्रशासनिक	2	2	2,616	1.00	0.400	345	1,880	8,000	0.120	0	0.000	0.500	40	0.480	3	3,840	1,000	2,000	690	1,380	3	0.900	15,116.0
8	प्रशासनिक	0	0	0.000	0.50	0.200	282	1,472	4,500	0.090	0	0.000	0.500	40	0.480	2	2,650	1,000	2,000	600	1,200	2	0.600	10,402.0
9	प्रशासनिक	1	1	1,306	1.50	0.600	342	1,772	4,500	0.090	0	0.000	0.500	40	0.480	2	2,650	1,000	2,000	650	1,300	2	0.600	12,210.0
#	प्रशासनिक	0	0	0.000	1.00	0.400	302	1,572	4,500	0.090	0	0.000	0.500	20	0.240	2	2,650	1,000	2,000	520	1,040	2	0.600	10,002.0
#	प्रशासनिक	2	2	2,616	1.00	0.400	362	1,872	6,000	0.120	0	0.000	0.500	0	0.000	3	3,840	1,000	2,000	640	1,280	3	0.900	15,528.0
कुल मांग :	13	17,004	13,000	5,200	3,527	18,472	60,000	1,200	100	0.150	5,500	450	5,400	27	34,560	11,000	22,000	14,700	28	7,800	143,986.0			

श्री - कर्मचारी वही को अंतरित नहीं किया गया। (₹0 एक करोड़, ₹100000000 लाख अक्षरों में हजार छ. वीं को भाग)

22-11-23  
AKR

16 नव 19/20  
01/08/22

(संग्रणीकृत संख्या 410)  
संग्रणीकृत संख्या







परिशिष्ट III

वित्तीय वर्ष 2022-23 में भाग संख्या-53-कृषि-पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य-प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-माली-पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विराय घटक योजना-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना

विरुद शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री

क्र.0 विवरण का नाम	वित्तीय बजट में निश्चित		मोबाइल रिवाइज कूपन		वास्तविक रिपोर्ट के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के		वित्तीय बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के		वित्तीय बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के		वित्तीय बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के		वित्तीय बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के		वित्तीय बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के		वित्तीय बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के	
	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)	मासिक लक्ष्य (₹0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	रक्षा	0.50	0.20	100	0.500	8000	0.1600	1	1.28	110	0.22	1	0.30	2.660				
2	खुशी	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	50	0.10	0	0.00	0.340				
3	पुस्तक	0.00	0.00	50	0.250	2000	0.0400	1	1.28	60	0.12	0	0.00	1.660				
4	सिमेंट	0.00	0.00	20	0.100	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0.220				
5	लॉन्ड्रिंग	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	1	0.30	0.620				
6	लॉन्ड्रिंग	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	1	0.30	0.570				
7	40 विद्युत	0.00	0.00	30	0.150	4000	0.0800	0	0.00	75	0.15	1	0.30	0.680				
8	पूरी विद्युत	0.00	0.00	30	0.150	2500	0.0500	0	0.00	45	0.09	1	0.30	0.590				
9	प्रायोजन	0.50	0.20	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	80	0.16	0	0.00	1.970				
10	रक्षा	0.50	0.20	30	0.150	2500	0.0500	1	1.28	150	0.30	1	0.30	2.280				
11	जानाबदा	0.50	0.20	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0.470				
12	सिमेंट	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0.270				
13	सिमेंट	0.00	0.00	40	0.200	2000	0.0400	0	0.00	40	0.08	0	0.00	0.320				
14	इस्पात	0.50	0.20	70	0.350	6000	0.1200	1	1.28	110	0.22	1	0.30	2.470				
15	प्रायोजन	0.50	0.20	30	0.150	4000	0.0800	0	0.00	90	0.18	1	0.30	0.910				
16	कोयला	0.00	0.00	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	95	0.19	1	0.30	2.100				
17	खुशी	0.00	0.00	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	75	0.15	0	0.00	0.340				
18	बोकरा	0.50	0.20	50	0.250	4000	0.0800	1	1.28	95	0.19	0	0.00	2.000				
19	सिमेंट	0.50	0.20	50	0.250	2000	0.0400	0	0.00	60	0.12	0	0.00	0.610				
20	सिमेंट	0.50	0.20	45	0.225	4000	0.0800	1	1.28	70	0.14	0	0.00	1.925				
21	सिमेंट	0.00	0.00	45	0.225	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	0	0.00	0.355				
22	पत्ता	0.50	0.20	30	0.150	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	0	0.00	0.480				
23	पत्ता	0.00	0.00	20	0.100	2000	0.0400	0	0.00	45	0.09	0	0.00	0.230				
24	दिवस	0.00	0.00	60	0.300	5000	0.1000	1	1.28	160	0.32	1	0.30	2.300				
कुल योग		5.00	2.00	1000	5.000	74000	1.4800	9	11.52	1700	3.40	10	3.00	26.400				

नोट-1-क्यापिन राशि को आरक्षण नहीं करना होगा।

(श्री0 बंसीधर ठाकुर भारतीय इस्पात को भुगतान)

(अनुमोदित सिद्धांत में)

भरकार के सदस्य

3/11/22

16/10/22

01/10/22



**परिशिष्ट IV**  
 दिनांक 04/01/2022-22 का प्रतिवेदन-22-कॉम, पञ्चसाल पर वसुधायता (मसा) प्रमाण पत्र-2405-मदारी प्रमाण-व्यवस्था-20-मदारी प्रमाण-व्यवस्था का प्रतिवेदन जारी करना

दिनांक 04-01-2022-कॉम-कॉम-कॉम-कॉम-कॉम-कॉम

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	प्रमाण पत्र-2405-मदारी प्रमाण-व्यवस्था का प्रतिवेदन जारी करना			प्रमाण पत्र-2405-मदारी प्रमाण-व्यवस्था का प्रतिवेदन जारी करना			प्रमाण पत्र-2405-मदारी प्रमाण-व्यवस्था का प्रतिवेदन जारी करना			प्रमाण पत्र-2405-मदारी प्रमाण-व्यवस्था का प्रतिवेदन जारी करना			व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का नाम
		101-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	101-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	101-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	101-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा	796-प्राथमिक परीक्षा									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	राधा	0	282	100	382	0	200	50	280	0	260	65	325	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	बैजू	0	130	40	170	0	100	30	130	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	पुनम	0	250	50	300	0	200	30	230	0	200	40	240	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	मिना	0	190	20	210	0	100	25	175	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
5	प्राणा	0	180	40	220	0	100	30	130	0	200	40	240	0.00	0.00	0.00	0.00					
6	मिना	0	230	30	260	0	150	25	175	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
7	प्राणा	0	328	30	358	0	200	25	225	0	260	35	295	0.00	0.00	0.00	0.00					
8	प्राणा	0	280	30	310	0	200	25	225	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
9	प्राणा	0	370	50	420	0	250	35	285	0	260	55	315	0.00	0.00	0.00	0.00					
10	प्राणा	0	250	30	280	0	200	30	230	0	320	50	370	0.00	0.00	0.00	0.00					
11	प्राणा	0	180	30	210	0	100	25	125	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
12	प्राणा	0	180	30	210	0	100	25	125	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
13	प्राणा	0	170	40	210	0	100	25	125	0	200	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00					
14	प्राणा	0	400	70	470	0	250	40	290	0	210	50	350	0.00	0.00	0.00	0.00					
15	प्राणा	0	280	30	310	0	195	35	230	0	230	40	280	0.00	0.00	0.00	0.00					
16	प्राणा	0	280	30	310	0	195	35	230	0	230	40	280	0.00	0.00	0.00	0.00					
17	प्राणा	0	310	30	340	0	190	35	225	0	210	40	250	0.00	0.00	0.00	0.00					
18	प्राणा	0	360	50	410	0	200	35	235	0	230	40	270	0.00	0.00	0.00	0.00					
19	प्राणा	0	250	50	300	0	190	35	225	0	180	40	220	0.00	0.00	0.00	0.00					
20	प्राणा	0	340	45	385	0	200	35	235	0	230	40	270	0.00	0.00	0.00	0.00					
21	प्राणा	0	280	45	325	0	190	30	220	0	190	40	230	0.00	0.00	0.00	0.00					
22	प्राणा	0	340	30	370	0	200	35	235	0	210	40	250	0.00	0.00	0.00	0.00					
23	प्राणा	0	300	20	320	0	190	20	210	0	210	40	250	0.00	0.00	0.00	0.00					
24	प्राणा	0	360	80	440	0	250	40	290	0	400	40	440	0.00	0.00	0.00	0.00					
25	प्राणा	3500	3000	1000	7500	2250	2000	750	5000	2600	2900	1000	6500	0.00	0.00	0.00	0.00					
26	प्राणा	78750	67500	22500	168750	275625	245000	91875	612500	44200	49300	17000	110500	464500	2000	3000	285075					
योग :		78750	67500	22500	168750	275625	245000	91875	612500	44200	49300	17000	110500	464500	2000	3000	285075					

(योग) की त्रुटि पर्याप्त मात्रा में सुधार करवा लें (को.सं. 100/2021)

*[Signature]* सचिव, को.सं. 100/2021

16/1/2022  
 01/08/22





परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निम्नलिखित मौखिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	कुल वित्तीय मांग (लाख ₹)
		गोकि० प्र०के०	अनुसंधान	जमशेदपुर	सिपडेगा	हजारीबाग	कोडरमा	बोकारो	देवघर	दुमका	जामताड़ा	धनबाद	राँची	मत्स्य निदेशालय	
<b>क लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन</b>															
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री														
1	मछली पालन मत्स्य क्षेत्र में 5000 वि०प्र० पंजर मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का मौखिक लक्ष्य (संख्या में)	0	20	0	0	20	0	10	20	0	0	20	0	0	90
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का मौखिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	0	0	20	10	0	10	0	0	10	0	0	75
5	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00
6	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	संगठित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं मूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रक्षेत्र में परेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का मौखिक लक्ष्य (वि० प्र० में)	0	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	3000
10	विभागीय प्रक्षेत्र में परेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
11	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी गाँगर पालन एवं प्रत्यक्ष का मौखिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
12	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी गाँगर पालन एवं प्रत्यक्ष का वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
<b>योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन</b>		<b>12.00</b>	<b>32.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.50</b>	<b>2.50</b>	<b>1.50</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.74</b>
<b>ख लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग</b>															
1 विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का मौखिक लक्ष्य (संख्या में)	0	50	40	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	110
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का मौखिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	5	2	0	0	0	0	20	2	0	0	0	54
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	5.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.40	0.00	0.00	0.00	10.80
5	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में परेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का मौखिक लक्ष्य (वि० प्र० में)	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	3000
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में परेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50
8	विभागीय तालाबों में देशी गाँगर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी गाँगर पालन एवं प्रत्यक्ष का मौखिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
10	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी गाँगर पालन एवं प्रत्यक्ष का वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
11	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परल कल्चर का मौखिक लक्ष्य	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
12	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परल कल्चर का वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
<b>उप योग</b>		<b>2.50</b>	<b>26.24</b>	<b>7.50</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>47.54</b>
II विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-81-रूचना, संचार एवं संचरण योजना															
9	आई टी वेबसाइट कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
III विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय															
10	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग</b>		<b>2.50</b>	<b>33.74</b>	<b>10.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>5.00</b>	<b>62.54</b>
<b>ग लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना</b>															
1 विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का मौखिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का मौखिक लक्ष्य (संख्या में)	0	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹ में)	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
<b>योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना</b>		<b>0.00</b>	<b>5.50</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
<b>शुल योग</b>		<b>14.50</b>	<b>71.48</b>	<b>13.50</b>	<b>0.40</b>	<b>6.50</b>	<b>2.50</b>	<b>1.50</b>	<b>4.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.40</b>	<b>4.00</b>	<b>0.50</b>	<b>5.00</b>	<b>134.28</b>

नोट - कृपया राशि को अक्टूबर नहीं समझा जाय।

(अनुबन्धक सिविलियन पी०)  
सरकार के सचिव

